दिनांक	आदेश	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि

अपील संख्या – 3842/2010

श्री मोहन लाल सैन
ग्राम मांमरू,
तहसील विराटनगर,
जिला जयपुर (राज.)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी
सचिव, ग्राम पंचायत मांमरू,
तहसील विराटनगर,
जिला जयपुर (राज.)

15-05-2012

1. अपीलार्थी की ओर से श्री भगवत गौड़ उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मूल सिंह उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 13-04-2010 के माध्यम से निम्नलिखित सूचना की अपेक्षा की थी :–
   (i) गत पाँच वर्षों में ग्राम पंचायत मांमरू में कितने व्यक्तियों को इन्द्रा आवास स्वीकृत हुए। तथा कितने व्यक्तियों को इन्द्रा आवास की कितनी–कितनी राशि उपलब्ध करवायी गई। नामवार सूची उपलब्ध करवायें।
   (ii) गत पाँच वर्षों में ग्राम पंचायत मांमरू में किस–किस योजनान्तर्गत कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। तथा कितने निर्माण कार्य पूरे किए गए। उनमें कितनी–कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने कार्य अधूरे हैं। योजनावार स्वीकृत एवं व्यय राशि की सूची उपलब्ध करवायें।
   (iii) ग्राम पंचायत मांमरू में बी.पी.एल. और अन्त्योदय के परिवारों की नामवार सूची उपलब्ध करवायें।

   सूचना के अभाव में आयोग स्तर पर अपील की गई।
5. प्रत्यर्थी पक्ष ने व्यक्त किया कि शुल्क रूपये 10,150 की मांग दिनांक 07–12–2010 को की गई थी। शुल्क जमा न होने से सूचना नहीं दी गई।
6. अपीलार्थी का कथन था कि 30 दिवस तक सूचना न देने और शुल्क न मांगने से अब वे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7 (6) के अनुसार सूचना निःशुल्क पाने के अधिकारी हैं।
7. अपीलार्थी के कथन में बल है। परन्तु आयोग स्तर पर यह भी देखना है कि क्या इतनी विस्तृत सूचना देय है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7 (9) के अनुसार यदि वांछित सूचना प्रत्यर्थी के संसाधनों को विचलित करने

अपील 3842/2010

दिनांक	आदेश	आदेश के अनुसरण में जारी पत्र की संख्या व तिथि

वाली है तो ऐसी सूचना अदेय होती है। ग्राम पंचायत स्तर से जहां सचिव ही एक मात्र कार्मिक होता है से इतनी विस्तृत सूचना की अपेक्षा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7 (9) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इतनी विस्तृत सूचना के लिये प्रारम्भ से ही मना किया जा सकता था और अब भी अपील अस्वीकार की जा सकती है।

8. परन्तु अधिनियम–2005 की भावना और वर्तमान प्रकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्यर्थी पक्ष इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में ही अपीलार्थी को स्थल, तिथि एवं समय सुनिश्चित कर आमंत्रित करें और उन्हें अभिलेखों का अवलोकन करा दें और तदुपरान्त उन द्वारा चिन्हित 100 पत्रादि की अधिप्रमाणित छाया प्रतियां उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करा दें।
9. अस्तु यह अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।
10. मेरे हस्ताक्षर एवम् आयोग की मोहर लगाकर आज दिनांक 15–05–2012 को निर्णय किया गया।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

मिश्रा